तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कमल नयन पारीक/ लोकसूचना अधिकारी (A.D. Jaipur)

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/230

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5.07.23

पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(1)(16)आरटीआई/2023/274 दिनांक 17.07.2023 प्राप्त। जिसमें उन्होने अंकित किया है कि कार्यालय के सभी मंत्रालयिक कर्मचारी दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 06.06.2023 तक सामुहिक अवकाश/हड़ताल पर होने के कारण अपीलार्थी को सूचना विलम्ब से दी गई समसंख्यक पत्रांक 192 दिनांक 12.06.2023 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक 218 पृष्ट की सूचना भिजवाई गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपील खारिज कराने का श्रम करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 192 दिनांक 12.06.223 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर